रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D.)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 267] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 1980/अषाढ़ 5, 1902

No. 267] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 1980/ASADHA 5, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 जून, 1980

का०आ० 465(अ).—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 445(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए/72, तारीख 23 जून, 1972 द्वारा आन्ध्र साइंटिफिक कंपनी लिमिटेड, मछली-पटनम नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम, का प्रबंध उक्त आदेश में वर्णित प्राधिकृत व्यक्ति ने 26 जून, 1977 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, कि पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया था और उक्त आदेश, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 407 (अ), तारीख, 22 जून, 1977 और आदेश सं० का० आ० 410(अ) तारीख 26 जून, 1978 द्वारा 26 जून, 1980 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की तीन वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी रखा गया है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए जारी रखा जाए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18-कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश, 26 जून, 1981 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रभाव रहेगा ।

[फा० सं० 2(18/80-सी०यू०एम०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 26th June, 1980

S.O. 465(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 445(E)/18AA/IDRA/72, dated the 23rd June, 1972 the management of the whole of the industrial undertaking known as the Andhra Scientific Company Limited, Machilipatnam, had been taken over by the authorised person mentioned in the said order for a period of five years upto and inclusive of the 26th June, 1977 and the said order is continued to have effect for a further period of three years upto and inclusive of the 26th June, 1980, by the orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 407(E), dated the 22nd June, 1977 and S.O. 410(E), dated the 26th June, 1978.

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking should continue for a further period of one year.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-

section (2) of section 18-A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 26th June, 1981.

[File No. 2(18)/80-CUS]

का०आ० 466(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड(ii), तारीख 27 जून 1972 में प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का०आ० 445 (अ)/18क्क/आई०डी० आर०ए/72, तारीख 23 जून, 1972 द्वारा आंध्र सांइटिफिक कम्पनी लिमिटेड, मछली-पट्टनम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क्क के अधीन 27 जून, 1972 से 26 जून, 1977 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था ;

और उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर 26 जून, 1981 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई है ;

और केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का०आ० 624(अ) 18चख/आई०डी०आर०ए०/ 72, तारीख 25 सितम्बर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा यह घोषणा की थी कि सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (जिसमें उक्त औद्योगिक उपक्रम पक्षकार था या जो इसे लागू हो) जो उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त थीं, प्रवर्तन 24 सितम्बर, 1973 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से उनके अधीन उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व 24 सितम्बर 1973 तक निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर बढ़ा कर 24 सितम्बर, 1980 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, कर दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि अनुसूचित उद्योग अर्थात्, सांइटिफिक इन्स्ट्रूमेंट इण्डस्ट्री में उत्पादन की मात्रा में गिरावट को रोकने के लिए ऐसा करना जन साधारण के हित में आवश्यक है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि 25 सितम्बर, 1972 से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं सम्पत्ति हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (जिनमें उक्त औद्योगिक उपक्रम पक्षकार था या जो उसे लागू हो) प्रवर्तन निलम्बित रहेगा और उनके अधीन उक्त तारीख के पूर्व प्रादुर्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व निलम्बित रहेंगे ।

2. यह आदेश, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 26 जून, 1981 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा ।

[फा० सं० 2(18)/80-सी०यू०एस०]

ब० राय, संयुक्त सचिव

S.O. 466(E).—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 445/(E)/18AA/IDRA/72, dated the 23rd June, 1972, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II-Section 3, Sub-Section (ii), dated the 27th June, 1972, the management of the whole of the industrial undertaking known as the Andhra Scientific Company Limited, Machilipatnam (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) had been taken over under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of five years commencing from the 27th June, 1972 upto and inclusive of the 26th June, 1977;

And whereas the duration of the said Order was further extended from time to time upto and inclusive the 26th June, 1981.

And whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 624(E)/18FB/IDRA/72, dated the 25th September, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all the contracts assurances of property agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the said industrial undertaking was a party or which may be applicable to it immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette shall remain suspended upto the 24th September, 1973, and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 24th September, 1973 ;

And whereas the duration of the said order was further extended from time to time upto and inclusive of the 26th June, 1980 ;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the interest of the general public with a view to preventing fall in the volume of production in the scheduled industry, namely the scientific instruments industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the Central Government hereby declare that the operation of all awards standing orders or other instruments in force to which the contracts, Assurances of property, agreements, settlements, the said industrial undertakng was a party or which may be applicable to it immediately before 25th September, 1972, shall remain suspended and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended.

This order shall remain in force from the date of its publication in the Official Gazette upto and inclusive of the 26th June, 1981.

[F. No. 2(18)/80-Cus.]

B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980